

कार्यालय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, उदयपुर संभाग उदयपुर

कार्यालय आदेश

(नान-टीएसपी)

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के पत्रांक : शिविरा-मा/संस्था/एफ-1/12102/सी.भ./व.अ.-सामाजिक विज्ञान/2018/ दिनांक 30.10.2018 के द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर से द्वितीय वेतन श्रंखला अध्यापक भर्ती परीक्षा-2016 से चयनित आशार्थियों(सामाजिक विज्ञान) को नियुक्ति हेतु पदस्थापन के लिये सुपुर्द करने के फलस्वरूप संलग्न सूची में अंकित अभ्यर्थियों को, वरिष्ठ अध्यापक-सामाजिक विज्ञान के पद पर राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम 2017 के वेतन लेवल-11 में दो वर्ष की अवधि हेतु प्रशिक्षणार्थी (प्रोबेशनर ट्रेनी) के रूप में नियत मानदेय 26500/- (छब्बीस हजार पांच सौ रुपये) पर नियुक्ति दी जाकर इनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है। इन्हें परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में कार्यग्रहण करने की दिनांक से दो वर्ष की अवधि तक राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक: एफ.12(9)एफडी(रूल्स)/2017 दिनांक 30.10.2017 के प्रावधानानुसार नियत मानदेय 26500/- (छब्बीस हजार पांच सौ रुपये) अथवा पूर्व से सेवारत होने की स्थिति में विद्यमान वेतन नियत मानदेय के रूप में देय होगा। परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण(प्रोबेशनर ट्रेनी) की अवधि में नियत मानदेय (FIX REMUNERATION) के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ते यथा महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, भाहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, महंगाई वेतन, विशेष वेतन, बोनस आदि देय नहीं होगा। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक : एफ.12(9)एफडी(रूल्स)/2017 दिनांक 30.10.2017 के अनुसार परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण(प्रोबेशनर ट्रेनी) के नियत मानदेय (FIX REMUNERATION) से नवीन पेंशन अंशदान की कटौति नियमानुसार होगी।

संबंधित संस्था प्रधान इनको कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही आवश्यक रूप से सम्पादित करेंगे:


1. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व नियमानुसार संबंधित अभ्यर्थी का संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र संबंधी सदाचरण रिपोर्ट एवं सक्षम चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाणपत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा, इनके अभाव में किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति पर कार्यग्रहण नहीं करवाया जावेगा। पूर्व से राजकीय सेवा में सेवारत कार्मिकों हेतु यह आवश्यक नहीं होगा।
2. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक : एफ.7(1)डीओपी/ए-11/95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार संबंधित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात उत्पन्न सन्तानों के फलस्वरूप कुल सन्तानों की संख्या दो से अधिक नहीं होने संबंधी स्वयं सत्यापित प्रमाणपत्र आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे। साथ ही पदस्थापन आदेश में अभ्यर्थी के नाम के सामने आवेदनपत्र में लगाये गये फोटो भी दिया गया है जिसका अभ्यर्थी के कार्यग्रहण करने के समय फोटो से मिलान अनिवार्य रूप से किया जावे।
3. विवाहित अभ्यर्थियों के मामले में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र अथवा यदि विवाह, पंजीयन अनिवार्य करने संबंधी प्रावधान लागू होने से पूर्व हुआ है तो तत्संबंधी आशय का स्वयं सत्यापित प्रमाणपत्र आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे।
4. अभ्यर्थी द्वारा दहेज नहीं लिये जाने का स्व-घोषणापत्र निर्धारित प्रारूप में प्राप्त किया जावे।
5. राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यताओं की वैधता संबंधी जांच की विभाग स्तर पर कार्यवाही की जानी शेष है, अतः जिन अभ्यर्थियों द्वारा राज्य से बाहर की संस्थाओं से शैक्षिक / प्रशैक्षिक योग्यता अर्जित की गई है, उन्हें यह नियुक्ति राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैध व मान्य पाये जाने के अध्यक्षीन प्रदान की जा रही है। अतः नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से 10/- के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथपत्र पूर्व में प्राप्त करेंगे कि यदि इनके द्वारा राज्य से बाहर, त्रुटीपूर्ण, जालि अथवा कुट रचित दस्तावेज पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एवं इनके विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतंत्र रहेगा। आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों का मिलान मूल दस्तावेजों से कार्यग्रहण कराने से पूर्व संबंधित संस्था प्रधान अपने स्तर पर आवश्यक रूप से करेंगे। मिलान में यदि कोई भिन्नता पाई जावे तो उसके संबंध में पूर्ण टिप्पणी सहित प्रकरण तुरन्त इस कार्यालय को भिजवायेंगे।
6. अन्य पिछड़ा वर्ग का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त नवीनतम मान्य प्रमाणपत्र पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना चाहिये। महिला आवेदकों के मामले में यदि पति के नाम एवं पति की आय के

7/12/18

आधार पर जारी किया हुआ हो तो ही मान्य होगा। संबंधित संस्था प्रधान कार्यग्रहण कराने से पूर्व इसकी पालना सुनिश्चित करें।-

7. चयनित अभ्यर्थियों के कार्यग्रहण कराने से पूर्व उनकी पात्रता, आयु, एवं आरक्षण संबंधी समस्त दस्तावेजों की आवश्यक रूप से जांच करें तथा अभ्यर्थियों से यह शपथपत्र लेवें कि उसके द्वारा प्रस्तुत सूचनाएँ एवं दस्तावेज सही हैं, इनके त्रुटिपूर्ण, जाली अथवा कूटरचित पाये जानें पर उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतंत्र रहेगा।
8. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक : प. 7(3)कार्मिक/क-2/06/पार्ट दिनांक 04.10.2013 के अनुसार धूम्रपान एवं गुटखा सेवन नहीं करने संबंधी वचनबद्धता (अण्डरटेकिंग) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त किया जावे।
9. यह नियुक्ति आदेश, प्रसारित विज्ञप्ति वरिष्ठ अध्यापक (विभिन्न विषय) प्रतियोगी परीक्षा-2016 के प्रकरण में माननीय न्यायालय में दायर विभिन्न याचिकाओं के निर्णयों के अध्यक्षीन रहेंगी।
10. इन अभ्यर्थियों को अपने पदस्थापित स्थान पर दिनांक 10.11.2018 तक अनिवार्य रूप से कार्यग्रहण करना होगा, अन्यथा यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माने जायेंगे।
11. टीएसपी परिक्षेत्र के अभ्यर्थियों से विशेष मुल निवास प्रमाणपत्र राज्य सरकार द्वारा नवीनतम निर्धारित प्रपत्र में अधिकृत सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया होना चाहिये इसके अभाव में कार्यग्रहण नहीं करवाया जाये
12. चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति आदेश प्रसारित विज्ञप्ति वरिष्ठ अध्यापक (विभिन्न विषय)प्रतियोगी परीक्षा 2016 के प्रकरण में माननीय न्यायालय में दायर विभिन्न याचिकाओं के निर्णयों के अध्यक्षीन रहेगे।
13. नोन टीएसपी से टीएसपी क्षेत्र के विद्यालय में पदस्थापन होने की स्थिति में कार्मिक को कार्यग्रहण नहीं करवाते हुए संस्था प्रधान इस कार्यालय हेतु भिजावे।
14. संबंधित संस्था प्रधान कार्मिक की आईडी एवं फोटो का मिलान करने के पश्चात् ही कार्यग्रहण करावे।

विधानसभा आम चुनाव आदर्श आचार संहिता में शिथिलन की स्वीकृति निर्वाचन विभाग राजस्थान के पत्रांक एफ-3(1)(9) I/Elect/2018/6995 दिनांक 08.10.2018 के गठित स्कीनिंग समिति से अनुमति प्रदान किये जाने एवं सामान्य प्रशासन विभाग की आईडी0 संख्या 3697/पीएस/जीएडी/18 दिनांक 23.10.2018 द्वारा सहमति प्रदान कर दी गई है।



(भरत मेहता)


संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
उदयपुर संभाग उदयपुर

क्रमांक : सनि/स्कूल शिक्षा/उदय/संस्था-ब/फा-1051-53/2018/135

दिनांक : 31.10.2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
2. शासन उपसचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर
3. शासन उपसचिव, कार्मिक (क-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
5. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर
6. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर
7. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
8. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा
9. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
10. वरिष्ठता अनुभाग - कार्यालय हाजा
11. संबंधित संस्था प्रधान.....
12. संबंधित अभ्यर्थी.....(रजिस्टर्ड डाक से)
13. निजी/गार्ड पत्रावली



संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
उदयपुर संभाग उदयपुर

कार्यालय संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) उदयपुर सम्भाग, उदयपुर

क्रमांक-संयु.नि./स्कूल शिक्षा/उदय/संस्थापन/फा-1051-53/2018/ 135

दिनांक 31.10.2018

विषय- सामाजिक विज्ञान

क्र. सं.	मेरिट नं०	आशार्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	जन्म तिथि	वर्ग	चयन वर्ग	पदस्थापन स्थान (राउमावि/मावि/राउप्रावि)	जिला
नान- टीएसपी									
1	172	VUJAY SINGH	GANGA SINGH	22/IIINEWIGNPCOLONYJAISALMER, , , , JAISALMER	01/12/1982	BC	GENM	उप्रावि सराय (भीण्डर)	उदयपुर
2	410	NIRMAL KUMAR	SHIV LAL	WARDNO2 SHASTRICALONY , RAISINGHNAGAR,	16/07/1975	BC, RG, NG	OBCM	उप्रावि आलूखेडा (भीण्डर)	उदयपुर
3	659	JAGDISH BENIWAL	BABU LAL	V&P-PEETHAWASVAYA-BANAR, PEETHAWAS, , , JODHPUR	01/06/1986	GE	GENM	गुडला (खमनोर)	राजसमंद
4	669	CHAMPA LAL PALIWAL	LEELA DHAR PALIWAL	CHAMPALALS%LEELADHARPALIWAL,VILLA GE-HOPARDI,TEHSIL-PHALODI,DIST.-JODHPUR(RAI), HOPARDI, PHALODI, JODHPUR	02/02/1988	GE	GENM	बा. दिवेर (भीम)	राजसमंद
5	718	ASHEESH KUMAR	CHANDRA SHEKHAR	1247BARKATNAGAR,TONKPHATAKJAIPUR , , , JAIPUR	21/07/1988	BC	GENM	वाना (भीण्डर)	उदयपुर
6	723	BAJARANG RAM	RAMA RAM	V/P-DEVANONKATALA,KAPRAU, KAPRAU, CHOHTAN, KAPRAU, BARMER	29/06/1993	BC	GENM	उप्रावि बाणिया दूकडा (कुम्भलगढ)	राजसमंद
7	769	LALIT JANGID	KAILASH CHAND JANGID	KHATYOKAMOHALLABAGHAWAS, BAGHAWAS, KISHANGARH RENWAL, KISHANGARH RENWAL, JAIPUR	12/10/1992	BC	OBCM	बाउप्रावि गोसुण्डा (चित्तौडगढ)	चित्तौड
8	782	JITENDRA SINGH	BHOORI SINGH	NEARAARADHANASCHOOL,SANJAYNAGAR, , , , BHARATPUR	10/10/1987	BC	OBCM	बाउप्रावि आवलखेडा (चित्तौड)	चित्तौड
9	923	PRIYANKA KHANDELWAL	SANKER LAL KHANDELWAL	SARPANCHMOHALLA, BANSKHO, BASSI, BANSKHO, JAIPUR	17/10/1993	GE, WE	GENF	बा. बेगु (बेगु)	चित्तौड
10	1070	MAMTA	MALI RAM YADAV	WARDNO-3,SHAHPURAROAD, YADAVCOLONY, NEEM KA THANA, NEEM-KA-THANA, NEEM KA THANA, SIKAR	01/01/1989	BC, WE	OBCF	गन्धैडी (भदेसर)	चित्तौड
11	1367	RAMKUNWAR BAIRWA	PRAHLAD BAIRWA	VILLPOSTGANETI , TODARAISINGH , TONK	15/08/1988	SC	SCM	उप्रावि खेडाजस्ता (भीम)	राजसमंद
12	1368	MONU	DEVI SAHAI	PLOTNO.19NEARPALIWALBUILDERSRAMN GARCOLONYG0FEETROAD, , , , ALWAR	07/05/1990	SC	SCM	उप्रावि करई (खमनोर)	राजसमंद
13	1383	VINOD KUMAR CHOHALLA	KISHAN LAL	117/4, GOUSHALASAHU NAGAR CEMENT FACTORY SAWAI MADHOPUR RAJASTHAN PIN CODE-322001, SAHUNAGAR, SAWAI MADHOPUR	05/06/1985	SC, ME	SCM	उप्रावि रामाखेडा (भूपालसागर)	चित्तौड
14	1387	KAMLESH MAHAWAR	DULI CHAND MAHAWAR	F-140 LAL KOTHI NEAR SANJAY PUBLIC SCHOOL, GANDHI NAGAR, , , JAIPUR	22/11/1982	SC	SCM	उप्रावि चितारदई (देवगढ)	राजसमंद
15	1513	MAHENDRA KUMAR MEENA	RAMPAL MEENA	VPO-PACHELKALAN, PACHEL KALAN, ANATH, PACHEL KALAN, BARAN	13/06/1992	ST	STM	बाउप्रावि भीचौर (बेगु)	चित्तौड
16	1588	KAUSHAL AGARWAL	RAMESH CHAND AGARWAL	34A,R.S.E.B.COLONY,AMRAPALICIRCLE,, VAISHALI NAGAR, , , JAIPUR	15/01/1976	GE, WE, WD	GENF	उप्रावि केरावतों की भागल(कुम्भलगढ)	राजसमंद
17	1780	JAI SINGH	SHISHPAL	62,DHIKNADABAS,HARIPURA, BANRA, TARANAGAR, HARIPURA, CHURU	13/05/1975	BC, EX	OBCM	उप्रावि रानी डूगला (भीण्डर)	उदयपुर
18	1849	SURESH CHAND	CHHIDDI SINGH	VILLAGEMAVAIPOSTMOROLITEHDEEG. MOROLI, DEEG, MAVAI, BHARATPUR	04/09/1967	GE, EX	GENM	उप्रावि बेजरडा (भीण्डर)	उदयपुर
19	1898	DHARMENDRA KUMAR SHARMA	DAMODAR LAL SHARMA	JHANDUKAPURA, HINDUAN CITY, HINDAUN, HINDAUN, KARAUJI	08/05/1983	GE, EX	GENM	उप्रावि पाछून्दा (बेगु)	चित्तौड
20	1955	NIHAL CHAND BISHNOI	SHANTI LAL BISHNOI	VPOPANCHAYATIYABASSRASISAR, RASISAR, NOKHA, RASISAR, BIKANER	10/01/1984	BC, BL	OBCM	बा देवगढ (राजसमंद)	राजसमंद

18

(भरत मेहता)

संयुक्त निदेशक(स्कूल शिक्षा)
उदयपुर सम्भाग उदयपुर